न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी बज्जू

पीठासीन अधिकारीः— सांवरमल रैगर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः— 38 / 2024

मु0 धाई बानो पुत्री बच्चू खां पत्नी हुसैन खां जाति मुसलमान साकिन शेरूवाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

..... **अपीलांट**

बनाम

1. मु0 रखी पत्नी बच्चू खां जाति मुसलमान साकिन शेरूवाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार बज्जू जिला बीकानेर।

.... **रेस्पोडेंटगण**

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
3. पैरोकारराज उपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

—: निर्णय :—

दिनांक :— 26.12.2025

यह अपील अपीलांट की ओर से इन्काल संख्या 105 दिनांक 17.07.2007 चक 4 सीडीवाई तहसीलदार उपनिवेशन तहसील कोलायत नं 1 जिसकी रूह से अपीलांट की पुश्तैनी भूमि विरासतन गलत दर्ज की गई, को निरस्त करने हेतु अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 में प्रस्तुत की गई है। अपील से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि चक अपीलार्थी के पिता बच्चूखां पुत्र करीम खां के नाम पुश्तैनी मिसल बन्दोबस्ती भूमि चक 4 सी0डी0वाई में मुरब्बा नं 94 / 49 में किला नंबर 6 से 10, 12 से 15 में 9 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि है। अपीलार्थी के पिता बच्चू खां पुत्र करीम खां का देहान्त होने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने मिलीभगत कर बच्चूखां के सभी जायज वारिसान के नाम दर्ज नहीं करवा कर अकेले अपने नाम से विरासतन नामान्तरकरण संख्या 105 स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा ली और अपीलार्थी जो कि बच्चूखां की पुत्री वारिस है, का नाम छोड दिये। अपीलार्थी बच्चू खां की पुत्री होने से बच्चू खां की जायज वारिसान है तथा वादगत भूमि में अपने पैतृक हक हिस्सा व अधिकार रखती है। तहसीलदार, उपनिवेशन तहसील कोलायत ने भी बिना किसी प्रकार की कोई जांच किये सरसरी तौर पर नामान्तरकरण संख्या 105 स्वीकृत कर कानूनी भूल की है जिससे नामान्तरकरण संख्या 105 चक 4 सी0डी0वाई0 दिनांक 17.07.2007 कानून एंव विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। नियमानुसार मृतक की सम्पति में पत्नि, पुत्र, पुत्री का बराबर हक हिस्सा होता है मगर नामान्तकरण संख्या 105 में अपीलार्थी का नाम छोड कर गलत स्वीकृत किया गया है जो कानून एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी का अपनी पैतृक सम्पति पर अपने पिता के समय से कब्जा काश्त निरन्तर व शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। अपीलार्थी व उसके परिवार ने अथक मेहनत कर, हजारों रूपया खर्च कर आराजी मुतनाजा को सुधारा है तथा काबिल काश्त बनाया है तथा आराजी मुतनाजा को ही काश्त कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है। दिनांक 08.11.2024 को अपीलार्थी किसान क्रेडिट कार्ड हेतू राजस्व रिकार्ड की नकलें लेने हल्का पटवारी के पास गई तो इन्तकाल संख्या 105 के तस्दीक होने की जानकारी हुई तब अपीलार्थी ने उसी दिन

उपखण्ड अधिकारी
बज्जू जिला—बीकानेर

ल प्राप्त करने हेतु आवेदन दे दिया। अपील पूर्ण कोर्ट फीस पर, अन्दर मियाद तथा समाअत दालतवाला के प्रस्तुत है। इन्काल संख्या 105 दिनांक 17.07.2007 चक 4 सीडीवाई निरस्त किया जाकर अपील मन्जूर फरमाई जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रामचन्द्र सिंह भाटी उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। स्टेट की ओर से पेरोकार राज उपस्थित।

पत्रावली में एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस अपील मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि इंतकाल संख्या 105 दिनांक 17.07.2007 का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन बिना सूचना, सुनवाई के एकतरफा तौर पर किया गया है, जो कानून एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने अपील, सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन व बहस का विधि के परिप्रेक्ष्य में मनन किया। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजी साक्ष्यों, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तथा धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर स्वीकार करते हुए अपील स्वीकार की जाती है तथा इंतकाल संख्या 105 दिनांक 17.07.2007 को अपास्त कर तहसीलदार, बज्जू को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि चक 4 सी0डी0वाई के मुरब्बा नं 94/49 में किला नंबर 6 से 10, 12 से 15 में 9.00 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि में वारिसान को पुनः सुनकर नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.12.26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बज्जू (बीकानेर)

(सांवरमल रैगर)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू

उपखण्ड अधिकारी
बज्जू जिला–बीकानेर